कार्यालय निदेशक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

(30)

दिनांक चण्डीगढ़ 22-11-2002

आदेश क्रमांक- 24/83 -2002-S-1(4)

नियमानुसार जांच उपरान्त नव जीवन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद को केवल शैक्षिक सत्र 2001-2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं में आर्टस, कॉमर्स तथा विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की स्थायी मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. संबंधित विद्यालय के प्रबंधक 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार / विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहींकरेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/ छात्राओं की वांछित सभी आवश्यक साधन/ सुविधाऐं अपने खर्च पर उपलब्ध कराएंगे।
2. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की संबंधित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्हीं को प्रध्यापक पद पर लगाया जाए जिन्होंने एम0 ए0 / एम0 एस0 सी0 / एम काम के संबंधित विषय में कम से कम 52 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों को पालना की आएगी। इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियां भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तों के अंतर्गत की जायेगी ।
3. सभी छात्र / छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाएं ।
4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की आएगी तथा प्रबंधक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जाएगी ।
5. विद्यालय को हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा ।
6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जाऐंगे जिनकी टीचिंग के लिए आवश्यक साधन / सुविधाऐं विद्यालय में उपलब्ध हो तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गयी हो।
7. सरकार/ विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतें / निर्देशों का पालन किया जाएगा ।
8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा ।
9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड निवासी जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा ।
10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हो ।
11. हरियाणा शिक्षा विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाएं ।

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad.

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad

(28)

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ

आदेश क्रमांक 23/783/02-वि0-1(1) दिनांक चण्डीगढ-23-09-2002

नव जीवन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद को दसवीं स्तर तक स्थायी मान्यता दिनांक 1-4-2002 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रान्ट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड की धारा 159 तथा 214 से 236 तक सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा।
3. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली विभागीय हिदायतों की पालना करेगा।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा-4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा इसके जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।
5. अध्यापिकों को वेतन क्रॉस चैक द्वारा दिया जाए।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाएगा।
7. शेष फीस राशि मु0 13,750/- रूपये एक मास के अन्दर-अन्दर जमा करवायेगा।

एच0सी0 शर्मा
संयुक्त निदेशक (विद्यालय)
कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ

पृष्ठांकन क्रमांक : सम दिनांक :-

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक G-I/02/6840 दिनांक 03/09/02 के सन्दर्भ में।
2. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. अधीक्षक सेकेण्डरी शिक्षा / आंकडा (स्थानीय)
5. मुख्याध्यापक नव जीवन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद

अधीक्षक विद्यालय -1
कृते निदेशक सेकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector-10, DLF, Faridabad.

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad.

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी – फरीदाबाद।

आदेश क्रमाक: जी-1-99-114-17 दिनांक 02-02-1999

NAVJIWAN PUBLIC SCHOOL FARIDABAD को कक्षा पहली से पांचवी तक शिक्षा बोर्ड के निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुये प्राथमिक विभाग तक तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्तो पर स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

1- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनो से चलायेगे और सरकार से किसी चदया ग्रान्ट का मांग नही करेगेंम।
2 विद्यालय विभाग/ सरकार / बोर्ड द्वारा समय – समय पर जारी की गयी हिदायतो एवं शर्तो तथा एजुकेशन कोंड का धारा 214 के तहत सभी नियमो एवं शर्तो को मानने के लिये बाध्य होगा।
3- यह कि विद्यालय स्टाफ को वेतन – समय – समय पर संशोधन होने पर नियम अनुसार संशोधित राशी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम से 03 माह के वेतन के बराबर राशी एफडी करवाने को बाध्य होगा।
4- भावी नियुक्तीयो /विभाग / सरकार द्वारा जारी नियमानुसार कीजावे
5- स्टाफ की जी पी एफ – 2 सी पी एफ सरकार के नियमानुसार चालू किया जावे
6- फन्डो के शेयर नियम अनुसार इस कार्यालय मेंभेजे जावे ।
7- शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय रिकोर्ड एवं शैक्षिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है।

(लाज बोका)
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद (हरियाणा)

पृ क्रमाक : सम:

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1- निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा चन्डीगढ।
2- खन्ड शिक्षा अधिकारी का मुखिया ।
3- सम्बधित विद्यालय का मुखिया ।
4- अनुभाग अधिकारी स्थानीय ।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद (हरियाणा)

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10 DLF Faridabad

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

(28)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

दिनांक 23-02-2001

आदेश क्रमांक डी-1/81/219-22

विषय : माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

नव जीवन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद

------------------ से छठी से आठवीं कक्षा (मिडिल विभाग) तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की माँग नही करेगी तथा अपने ही खर्च पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लज्ड करायेंगे । यदि राशि प्लज्ड ना कराई तो मान्यता रद्द की जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी० पी० एफ० की राशि स्थानिय बैंक में जमा कराई जाये
6. संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी एजूकेशन कोड शर्तों को पूरा करना । यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. सी० डब्लू० एफ० रेडक्रास तथा स्पोर्ट्स फन्ड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है ।
9. एजूकेशन कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना

जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद ।

पृष्ठ क्रमांक : सम दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।
उपमण्डल शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद/पलवल ।
सम्बंधित विद्यालय का मुखिया ।
बी० एस० ई० भिवानी ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

(31)

12. संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर बकाया रू.15,750/- राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक महीने में बैंक में प्लैस करवायी जाए ।

13. विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है।

14. भविष्य में छात्र/ छात्राओं का प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा ।

15. संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेंगे वह मान्य होंगे ।

सुरीना राजन
निदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़

पृ0क0 सम दिनांक चण्डीगढ़

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है ।

1. प्रबंधक नव जीवन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनको क्रमांक G-I/02/9232 दिनांक 23/11/02 के संदर्भ में

अधीक्षक विद्यालय-1
कृते निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad.

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad.